माननीय न्यायमूर्ति हरबंस लाल के समक्ष

संत राम और अन्य

-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

-उत्तरदाता

2009 की सी.आर.एल.एम. संख्या 4933/एम

25 अगस्त 2009

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 389-याचिकाकर्ता छूट और पैरोल/फर्लो की अवधि को कुल सजा में गिनकर समय से पहले रिहाई की मांग कर रहे हैं-क्या पैरोल की अवधि को वास्तविक सजा में गिना जा सकता है-क्या कोई कैदी जमानत पर रहने की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष छूट का हकदार है- नियम/निर्देश प्रदान करते हैं कि पैरोल अवधि को कुल सजा में नहीं गिना जाएगा - पंजाब जेल मैनुअल तीसरे संस्करण के पैराग्राफ संख्या 643 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उस कैलेंडर माह के लिए सामान्य छूट नहीं मिलेगी जिसमें उसे रिहा किया गया है - वह अवधि जिसके दौरान आरोपी/दोषी जमानत में रहा,उस अवधि को वास्तविक या कुल सजा में नहीं गिना जाएगा-उत्तरदाताओं को आदेश पारित करके पंजाब जेल मैनुअल के केस कानून/नियम/पैराग्राफ को लागू करके प्रत्येक याचिकाकर्ता के मामले को व्यक्तिगत रूप से तय करने का निर्देश दिया गया है।

यह निर्धारित किया गया कि पंजाब जेल मैनुअल के सर्कुलर में कहा गया है कि पैरोल की अवधि वास्तविक सजा में गिनी जाती है लेकिन कुल सजा से घटा दी जाती है। दूसरी ओर, फर्लो अवधि की गणना वास्तविक और कुल सजा दोनों में की जाती है और इसमें कटौती नहीं की जाती है। उपरोक्त धारा 4 के मद्देनजर, पैरोल एक विशेष अवकाश है। पैरोल वास्तविक सजा का एक हिस्सा है, लेकिन इसे कुल सजा से घटाया जाना चाहिए यानी वास्तविक सजा+छूट। पैरोल को कुल सजा में केवल तभी जोड़ा जा सकता है, यदि उक्त आशय के लिए कोई विशिष्ट विधायी अधिनियम हो। हालाँकि, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ऐसा कोई विशिष्ट विधायी अधिनियम नहीं है। नियमों/निर्देशों में प्रावधान है कि इन दोनों राज्यों में पैरोल को कुल सजा में नहीं गिना जाएगा। चंडीगढ़ के लिए, पंजाब राज्य द्वारा

बनाए गए नियम लागू हैं। पंजाब जेल मैनुअल तीसरे संस्करण के पैराग्राफ संख्या 643 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कैलेंडर माह ,जिसमें उसे रिहा किया गया है,के लिए सामान्य छूट नहीं मिलेगी।

(पैरा 44)

इसके अलावा, यह माना गया कि दोषसिद्धि और सजा दो अलग-अलग शब्द हैं। जिस क्षण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, वह कलंकित हो जाता है। वह दोषी है।यदि उसे अपीलीय अदालत द्वारा जमानत दी जाती है, तो यह सीआरपीसी की धारा 389 के प्रावधानों के आधार पर है और उसकी सज़ा निलंबित रहती है।यदि उसकी अपील खारिज होने के साथ उसकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया जाता है, तो कलंक नहीं मिटता है। उपरोक्त अनुच्छेद 637 ऐसी ओवर-राइड छूटों के रूप में नहीं है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट के माध्यम से घोषित किया जाता है।

(पैरा 46)

एच.एस. जसवाल, एच.पी.एस. औलख, कृष्ण सिंह, सुरेंद्र देसवाल और वरिंदर सिंह राणा याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

जे.एस. तूर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

दीपक गिरोत्रा, सहायक महाधिवक्ता,हरियाणा।

और अमित कौशिक, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

प्रलय

हरबंस लाल जे०

1. यह निर्णय,2009 का आपराधिक विविध नंबर M 4933-संत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 का आपराधिक विविध नंबर एम-5321-सुरेंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 का आपराधिक विविध नंबर एम 5338-राजिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 का आपराधिक विविध नंबर एम-5368- बलराज उर्फ बिल्ला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 की आपराधिक विविध संख्या 6357-

राजबीर उर्फ काला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 का आपराधिक विविध नंबर एम-11333- सुभाष बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2009 का आपराधिक विविध नंबर एम-12399-राजेश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2009 का आपराधिक विविध क्रमांक एम-14304-शमशेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा, आपराधिक विविध संख्या एम-15178- अनिल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और 2009 का आपराधिक विविध नंबर एम-18878, गुरदित सिंह अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न के रूप में इन सभी मामलों का निपटान करेगा।

आपराधिक विविध. 2009 का क्रमांक एम-4933

2. यह याचिका संत राम, बलवंत, आंचल और रिसाला @अर्सयाल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें उत्तरदाताओं को उनके द्वारा भोगी गई वास्तविक सजा में उनकी पैरोल की अवधि जोड़ने व उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि चारों याचिकाकर्ता आपस में सगे भाई हैं। उन्हें दोषी ठहराया गया और पुलिस स्टेशन सिटी यमुनानगर में आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 144 दिनांक 20 अक्टूबर, 1996 में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई - फैसले/सजा के आदेश दिनांक 19 जनवरी के तहत, 1998 विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यमुनानगर की अदालत द्वारा दिया गया। इस न्यायालय में अपील करने पर फैसले/सजा के आदेश को संशोधित करके, उन्हें आईपीसी की धारा 304, भाग II के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और आठ साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये प्रत्येक को जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर, चूककर्ता को 15 अक्टूबर, 2007 के फैसले (अनुलग्नक पी 1) के तहत छह महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने जेल के अंदर अच्छा आचरण बनाए रखा और कोई जेल अपराध नहीं किया। वे समय-समय पर सरकार द्वारा दी गई छूट और पैरोल सहित 8 साल की सजा काट चुके हैं और जेल से उनकी रिहाई से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

4. जैसा कि उत्तर में कहा गया है, याचिकाकर्ताओं ने 19 मार्च, 2009 को अपनी अपेक्षित सजा पूरी नहीं की है। जब भी वे इसे पूरा करेंगे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।

आपराधिक विविध. 2009 का क्रमांक एम-5321

5. यह याचिका सुरेंद्र सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें छूट और पैरोल/ फरलो की अवधि को उनके कुल में गिनकर उनकी समयपूर्व रिहाई की मांग की गई है।

6. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन गन्नौर, सोनीपत में आईपीसी की धारा 392, 394,397 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 54 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 40 दिनांक 7 फरवरी, 2000 में सात वर्ष की अवधि की कारावास की सजा सुनाई गई और वह पाँच वर्ष की वास्तविक सज़ा काट चुका है। प्रतिवादी-राज्य द्वारा दोषियों को दी जा रही छूट का लाभ अब तक उसे नहीं दिया गया है। पैरोल की अवधि को उसकी वास्तविक सजा में गिनने पर, उसने अपनी सजा के सात साल पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार वह रिहा होने का हकदार है।

7. जैसा कि उत्तर में कहा गया है, याचिकाकर्ता वर्तमान में 4 फरवरी, 2009 से 19 मार्च, 2009 तक छह सप्ताह की पैरोल पर है और उसने कुल 4 साल 10 महीने और 8 दिन की सजा काट ली है। उन्होंने उपरोक्त अवधि के दौरान 7 महीने और 10 दिन की छूट अर्जित की है। कठोर कारावास का दोषी होने के कारण उसने जेल में किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है और इस प्रकार, वह जेल में कारावास की अवधि के दौरान अधिकतम छूट अर्जित नहीं कर सका। हालाँकि, वह पंजाब जेल मैनुअल के पैरा नंबर 645 के अनुसार भोगी गई वास्तविक सजा का केवल एक-चौथाई हिस्सा पाने का हकदार है। वह 26 जुलाई, 2002 से 15 नवंबर, 2004 की अवधि के लिए छूट के लाभ का दावा कर रहा है, जिस दौरान वह जमानत पर रहा। 2000 की आपराधिक अपील संख्या 301 (1999 की एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 3697 (अनुलग्नक आर 1) से उत्पन्न) में पारित 27 मार्च 2000 के आदेश के मद्देनजर, जमानत अवधि को सजा में नहीं गिना जा सकता है।

आपराधिक विविध. 2009 का एम-5338

8. यह याचिका राजेंद्र सिंह द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ पढ़ी जाने वाली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें उनकी समय से पहले रिहाई की मांग की गई है।

9. संक्षिप्त तथ्य यह है कि 6 सितंबर, 1997 के फैसले के तहत, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और विद्वान सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा एफआईआर संख्या 219 दिनांक 27 सितंबर, 1994। पुलिस स्टेशन सांपला,के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी ।माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च

न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 28 सितंबर, 2000 को आपराधिक अपील संख्या 639, 1997 की डीबी में उन्हें जमानत दी गयी। उनकी अपील खारिज होने तक वह जमानत पर रहे। 14 मार्च, 2001 को अधीक्षक जिला जेल, करनाल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।जब तक वह जमानत पर रहे, उस समय छूट में नहीं गिना गया है हालांकि आपराधिक विविध 2008 का नंबर एम-18417-**जय प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** में पारित आदेश दिनांक 28 नवंबर, 2008 (अनुलग्नक पी.7) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वह इस लाभ के हकदार थे । दोषी के रूप में सजा काटते समय उन्होंने पैरोल का लाभ उठाया, लेकिन पैरोल की अवधि को भी उनकी कुल सजा में नहीं गिना गया है।

10. जैसा कि उत्तर में कहा गया है, याचिकाकर्ता ने कुल 8 साल, 9 महीने और 4 दिन (7 साल 11 महीने और 24 दिन की वास्तविक सजा अवधि + 1 साल और 12 दिन और दिनों की छूट-3 महीने और 2 दिन पैरोल का लाभ उठाया) की सजा काट ली है। वह 4 अक्टूबर, 2000 से 13 मार्च, 2007 तक यानी 6 साल 5 महीने और 13 दिन तक जमानत पर रहे। पंजाब जेल मैनुअल के पैरा संख्या 645 के अनुसार वह भोगी गई वास्तविक सजा का केवल एक-चौथाई हिस्सा पाने का हकदार है। वह उस अवधि के लिए माफी के लाभ का हकदार नहीं है, जब वह जमानत पर रहा।

आपराधिक विविध. 2009 का क्रमांक एम-5368

11.यह याचिका बलराज उर्फ बिल्ला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें उनकी समय से पहले रिहाई की मांग की गई है।

12. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को एफआईआर नंबर 132 दिनांक के मामले में 20 दिसंबर, 1998 के अपने फैसले के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया था और दस साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। 24 अप्रैल, 1998 को आईपीसी की धारा 376 के तहत पुलिस स्टेशन सफैदों, जिला जींद में मामला दर्ज किया गया। इस न्यायालय में अपील करने पर, 8 मई, 2003 के फैसले के तहत उसकी सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया। वह पैरोल की अवधि और छूट के लाभ सहित छह साल की वास्तविक सजा काट चुका है। उन्हें केवल 14 महीने और 22 दिनों की छूट दी गई है, जबकि वह जमानत पर रहते हुए छूट के सभी लाभों के हकदार हैं, उन्हें उनकी वास्तविक सजा के लिए 40 सप्ताह की पैरोल अवधि का लाभ

नहीं दिया गया है। परिशिष्ट पी.8 के अनुसार. **जय प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** नामक मामले में इस न्यायालय द्वारा 28 नवंबर, 2008 को दिए गए निर्णय के अनुसार, जमानत अवधि को सजा में गिना जाना चाहिए।

13. उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाब में यह कहा गया है याचिकाकर्ता 18 फरवरी 1989 से 5 नवंबर ,2003 जमानत पर है।उसने कुल 6 साल, 6 महीने और 1 दिन की सजा काट ली है (6 साल, 1 महीने और 27 दिन की वास्तविक सजा अवधि +1 साल, 3 महीने और 24 दिन की छूट-11 महीने 20 दिन की पैरोल का लाभ उठाया)। पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 645 के अनुसार वह भोगी गई वास्तविक सजा का केवल एक-चौथाई हिस्सा पाने का हकदार है। उपलब्ध जेल रिकॉर्ड के अनुसार, उन्होंने इस अवधि के लिए 1 वर्ष, 3 महीने और 24 दिनों की छूट अर्जित की है, वह सजा के बाद छूट देने के मौजूदा नियम के अनुसार पैरोल/फर्लो सहित जेल के अंदर रहे। 2000 की आपराधिक अपील संख्या 301 के मद्देनजर [एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 3697/1999 (अनुलग्नक आर1 के रूप में संलग्न)], उसकी जमानत अवधि को सजा में नहीं गिना जाएगा।

आपराधिक विविध, 2009 का क्रमांक एम-635

14. यह याचिका राजबीर उर्फ काला द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को उसके पैरोल की अवधि को उसके द्वारा भोगी गई वास्तविक सजा में जोड़ने और उसकी तत्काल रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

15. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत की अदालत ने पुलिस स्टेशन गोहाना, जिला सोनीपत में आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 127 दिनांक 26 मार्च, 1997 के मामले में आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया और दस साल के कठोर कारावास और 3000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना का फैसला सुनाया। इस न्यायालय में अपील करने पर, 21 मार्च, 2007 के निर्णय द्वारा सजा के फैसले/आदेश को संशोधित किया गया और आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा को घटाकर 5-1/2 वर्ष कर दिया गया और जुर्माने के संबंध में सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया गया।वह 4 साल 11 महीने की वास्तविक सज़ा काट चुका है। उन्होंने समय-समय पर छूट भी अर्जित की है। इसलिए, यदि 30 जनवरी, 2009 के हिरासत प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी.1) के अनुसार पैरोल की अवधि को उसकी वास्तविक सजा में जोड़ा जाता है, तो वह पहले ही पूरी सजा काट चुका है। उसने

जेल के अंदर अच्छा आचरण बनाए रखा है और कोई जेल अपराध नहीं किया है। वह सजा में छूट और पैरोल सहित आठ साल की सजा काट चुका है।उनकी रिहाई देने से इनकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

16.उत्तर में, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने 11 मार्च, 2009 तक 7 महीने और 24 दिनों की छूट सहित कुल 5 साल, 1 महीने और 9 दिन की सजा काट ली है। उन्होंने 5 साल 6 महीने की सजा पूरी नहीं की है।ऐसे में याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

आपराधिक विविध,2009 का क्रमांक एम-11333

17. यह याचिका सुभाष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें जेल महानिदेशक, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 2 को सजा माफी सहित उनके द्वारा बिताई गई अवधि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 633ए, 639 और 644 के तहत सत्यापित करने के निर्देश देकर उनकी समय से पहले रिहाई की मांग की गई है।

18. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत थाना सदर डबवाली में दर्ज की गयी एफ़आइआर नंबर 267 दिनांक 9 अगस्त,1993 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा की अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया गया और दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।। इस न्यायालय में अपील करने पर, 3 अप्रैल, 2007 को इस न्यायालय द्वारा 1995 की आपराधिक अपील संख्या 334-एसबी, जिसका शीर्षक **सुभाष बनाम हरियाणा राज्य** था, में पारित फैसले के तहत सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया था। समय-समय पर जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना और उनके इतिहास टिकट में दर्ज के अनुसार उन्हें 30 मई, 1995 से 10 जून, 1997 और 23 नवंबर, 2007 से आज तक छूट मिलती रही है। उन्होंने वास्तविक सज़ा के 4 साल और 11 महीने काटे हैं लेकिन छूट और पैरोल अवधि को जोड़ने के बाद, उन्होंने सात साल की सज़ा काटी है। उसे किसी भी जेल अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया है। उन्होंने जेल के अंदर अच्छा आचरण बनाए रखा है। वह लगभग अपनी पूरी सजा काट चुका है।

19. उत्तर में, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने 10 मई, 2009 तक पैरोल अवधि को छोड़कर अपनी कुल सजा के 6 साल और 27 दिन काट लिए हैं। उसे अर्जित छूट सहित और पैरोल अवधि को छोड़कर, कुल सात साल की सजा भुगतनी होगी जिसे उसने अभी तक पूरा नहीं किया है, ।इसलिए, यह याचिका खारिज होने योग्य है।

आपराधिक विविध. 2009 का क्रमांक एम-12399

20. यह याचिका राजेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें सभी छूट (पंजाब जेल मैनुअल के पैरा 635, 638, 639 और 644 के तहत दोषी को दी गई छूट और भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत निलंबन / प्रेषण / कम्यूटेशन के साथ दी गई छूट) को हिरासत अवधि में शामिल करने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 (जेल अधीक्षक, जिला जेल गुड़गांव) को निर्देश देने की मांग की गई है और उसे रिहा करने की माँग की है क्योंकि उसने हिरासत में छूट की अवधि जोड़ने के बाद अपेक्षित सजा पूरी कर ली है।

21.संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन सदर पलवल में आईपीसी की धारा 148, 326, 324,323, 302 और 506 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 492 दिनांक 25 नवंबर, 1996 में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद की अदालत द्वारा 11 अक्टूबर, 1999 को सजा के फैसले/आदेश के तहत आईपीसी की धारा 148, 326, 324 और 323 के तहत दोषी ठहराया गया और पांच साल के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर, छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया।। इस न्यायालय में की गई अपील दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। उसने अनुबंध पी 1 के अनुसार लगभग 3 साल और 11 महीने की कैद पूरी कर ली है और इस अवधि के दौरान, उसने जेल के नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यदि उसके द्वारा अर्जित छूट को उसके द्वारा भोगी गई वास्तविक सजा में जोड़ दिया जाए, तो यह उस अवधि से अधिक होगी, जिसे भुगतना कानून द्वारा आवश्यक है। जेल में वह क्लास 'बी' कैदी के रूप में काम (मुसाकत) कर रहा था। छूट की प्रविष्टि उनके इतिहास टिकट में की गई थी। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत राज्य द्वारा दी गई विशेष छूट के अलावा पंजाब जेल मैनुअल में प्रदान की गई छूट का 1/4 भाग अर्जित किया है।

22. उत्तर में कहा गया है कि जो छूट हो सकती है याचिकाकर्ता को नियमानुसार दी जा चुकी है।वह चार बार पैरोल का लाभ उठा चुका है। उनके पैरोल काल को उसकी कुल सजा में नहीं गिना जाएगा। जैसे पंजाब जेल मैनुअल पैरा संख्या 637 और 643 के अनुसार याचिकाकर्ता को पैरोल के लिए 1 महीने और 10 दिन की अतिरिक्त छूट दी गई अवधि को उसकी कुल अर्जित छूट से काट लिया गया था।. उन्हें दंडित किया गया और बी-क्लास की सुविधा जेल में प्रतिबंधित वस्तु यानी मोबाइल फोन रखने के आरोप में वापस ले ली गयी। यह सजा जेल महानिदेशक, हरियाणा ने अपने पत्र

संख्या 12399 दिनांक 28 अगस्त, 2006 के माध्यम से दी थी और न्यायिक मूल्यांकन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव को भेजी थी। इस बीच, उन्होंने कानून और जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस अदालत से संपर्क किया।

आपराधिक विविध. 2009 का क्रमांक एम-14304

23. यह याचिका शमशेर सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत समय से पहले परिपक्व होने की मांग करते हुए दायर की गई है।

24. संक्षिप्त तथ्य यह है कि एफ़आइआर न. 280 दिनांक 23 जून 1990 को पुलिस थाना असंध, जिला करनाल में धारा 304 भाग-1/323/324/34 आईपीसी के तहत दर्ज किए गये मामलें में याचिककर्ता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत द्वारा धारा 304 भाग 1/323/324/34 आईपीसी के तहत 7 मई, 1993 के फैसले के तहत दोषी ठहराया गया और दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।जुर्माना अदा न करने पर, छह महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतान का आदेश दिया। इस न्यायालय में अपील करने पर सजा के फैसले/आदेश को संशोधित किया गया और सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने हिरासत में 5 साल और 2 महीने की वास्तविक सजा काट ली है। उसकी पैरोल की अवधि को वास्तविक सजा में गिनने पर, उसने सात साल की सजा की अवधि पूरी कर ली है और वह तुरंत रिहा होने का हकदार है। प्रतिवादी-राज्य समय-समय पर परिपत्र जारी करता रहा है जिसके लिए हरियाणा राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे सभी दोषियों को छूट दी गई है और यह लाभ उन दोषियों को भी दिया गया है, जो जमानत पर हैं। समय-समय पर न्यायालय के आदेश के अनुसार हरियाणा राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे सभी दोषियों को छूट दी गई है और यह लाभ उन दोषियों को भी दिया गया है, जो न्यायालय के आदेश के तहत जमानत पर हैं।

25 . जवाब में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता कुल 5 साल, 7 महीने और 24 दिन (5 साल,3 महीने और 20 दिन की वास्तविक सज़ा अवधि +0 वर्ष, 5 महीने और 2 दिन की छूट- 28 दिनों की पैरोल का लाभ उठाया गया)। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा नही पूरी की गयी है जिसके लिए उसे सजा भुगतनी थी। उसे लगभग नवंबर, 2010 के अंतिम सप्ताह में रिहा कर दिया जाएगा। वह उस अवधि के लिए छूट के लाभ का दावा कर रहा है जिसमें वह जमानत पर रहा। उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता जमानत पर रहने की अवधि के लिए माफी का लाभ पाने का हकदार नहीं है।

आपराधिक विविध. 2009 का क्रमांक एम-15178

26.इस आवेदन में, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ को संबोधित करते हुए, याचिकाकर्ताओं, अर्थात् अनिल पुत्र राम किशन, अनिल उर्फ नीला पुत्र करण सिंह, राजेश पुत्र सूबे सिंह, संजय रतन सिंह के बेटे, ओम प्रकाश के बेटे राजेश, बलवान सिंह के बेटे सुरिंदर और रतन सिंह के बेटे नवाब ने कहा है कि पैरोल की अवधि जो उन्होंने ली है, वह भी सजा का हिस्सा है और इसे अपनी हिरासत अवधि में गिनकर, वे रिहा किये जा सकते है।

27. उत्तर में, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, जीन्द के आदेश से थाना सफीदों पुलिस में धारा 302/148/149/307/325 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 259 दिनांक 4 सितंबर, 2000 के मामले में 28 मई, 2004 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।। इस न्यायालय में अपील करने पर 6 अक्टूबर, 2005 के आदेश से आईपीसी की धारा 304 भाग-2/323/149 के तहत सजा को घटाकर सात साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये के जुर्माने में बदल दिया गया है और जुर्मने का भुगतान न करने पर, चूककर्ता को एक वर्ष और तीन महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। याचिकाकर्ता ने सजा में छूट (1 वर्ष, 5 महिनें और 1 दिन)सहित और पैरोल अवधि (8 महीने और 12 दिन) को छोड़कर कुल 6 साल और 25 दिन की सजा काट ली है। हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3(3) के तहत, पैरोल अवधि पर रिहाई को अनुबंध आर.1 के अनुसार किसी कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा और इस प्रकार, यह याचिका खारिज की जा सकती है।

आपराधिक विविध. 2009 का क्रमांक एम-18878

28.यह याचिका सुरैन सिंह के पुत्र गुरदित सिंह, प्रेम सिंह और लखविंदर सिंह द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गयी है और प्रतिवादियों को उनकी पैरोल/फरलो की अवधि को उनके द्वारा भोगी गई वास्तविक सजा में जोड़ने और उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

29.संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा की अदालत ने आईपीसी की धारा 302/307/324/326/323/148/149 के तहत 7 अप्रैल, 1998 पुलिस थाना रनिया में दर्ज एफआईआर नंबर 139 के

मामले में 7 फरवरी, 2000 के फैसले के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस अदालत द्वारा आपराधिक अपील संख्या 152-डीबी 2000 को खारिज करने पर दिनांक 21 अप्रैल, 2009 के आदेश के तहत उन्हें 29 मई, 2009 को जिला जेल, सिरसा में दोबारा दाखिल किया गया था और आईपीसी की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराया गया और आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यदि पैरोल/फरलो सहित छूट का लाभ उनकी वास्तविक सजा में जोड़ दिया जाए, तो वे जेल से बाहर हो जाएंगे। आपराधिक विविध 2000 की संख्या 19131-**दुनी राम बनाम हरियाणा राज्य**[1]**,** इस अदालत द्वारा 23 नवंबर, 2004 को, यह माना गया कि पैरोल की अवधि को कैदी द्वारा भोगी गई वास्तविक सजा में गिना जाएगा।

30. उत्तर में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को कुल आठ साल की सजा काटनी होगी, जिसमें अर्जित छूट (कुल सजा के 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए)शामिल है और पैरोल की अवधि को छोड दिया गया है, जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। **दुनी राम बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में, उत्तरदाता इस न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक निर्णय नहीं रख सके और इसलिए वहां पारित आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3(3) के अनुसार, पैरोल की अवधि को याचिकाकर्ता की सजा की अवधि में नहीं गिना जा सकता है। जैसा कि 2002 की आपराधिक अपील संख्या 271 (2000 की एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 4361 से उत्पन्न-अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 फरवरी, 2002 के आदेश में कहा गया था। याचिकाकर्ता को वास्तविक के साथ-साथ पैरोल अवधि को छोड़कर अर्जित छूट सहित आठ साल की कुल सजा भुगतनी होगी। दोषी अपनी सजा के केवल एक-चौथाई हिस्से की सीमा तक ही छूट का लाभ उठा सकता है। इसलिए, इस याचिका को खारिज किया जा सकता है।

31. उचित देखभाल और सावधानी के साथ रिकॉर्ड का अवलोकन करने के अलावा, मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को भी सुना है।

32. याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि **राम अवतार खटीक और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1)**[2] में दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, पैरोल और जमानत अवधि को कुल सजा में गिना जाना चाहिए।

---

(2) 2008 (4) आर.सी.आर. (आपराधिक) 566

(2) (1987) 3 एस.सी.सी. 432
(3) (2002) 3 एस.सी.सी. 18
(4) 2006 (3) आर.सी.आर. (आपराधिक) 240

आगे यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध 2008 की संख्या 18417 शीर्षक माई प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 नवंबर, 2008 के मद्देनजर याचिकाकर्ता को जमानत पर रहने की अवधि के लिए छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।

33.उत्तरदाताओं की ओर से, यह कहा गया है कि जैसा कि **हरीश मुखीजा बनाम यूपी राज्य** और अन्य (2) में सुनाया गया था कि हिरासत की अवधि की गणना में पैरोल की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा **अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (3)** के मद्देनजर, अस्थायी रिहाई की अवधि को कुल सजा में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा इस न्यायालय ने **जिंदा बनाम हरियाणा राज्य (4**) के मामले में हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3(3) के अनुसार कहा था कि पैरोल पर एक कैदी की रिहाई की अवधि को कुल सजा की अवधि में नहीं गिना जाएगा।

34. जिन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है वे ये हैं:

(ए) क्या जमानत/पैरोल/फरलो अवधि को वास्तविक सजा या कुल सजा या दोनों में गिना जाएगा;

(बी) क्या जमानत पर रहते हुए दोषी को छूट मिलती है, यदि हां, तो किस प्रकृति की?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 इस प्रकार है:-

"432. सज़ा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति.-(1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सज़ा दी गई है, तो उपयुक्त सरकार, किसी भी समय, बिना शर्तों के या किसी भी शर्त पर, जिसे सज़ा पाने वाला व्यक्ति स्वीकार करता है, फांसी को निलंबित कर सकती है व उसकी सज़ा को माफ कर दिया जाएगा या जिस सज़ा के लिए उसे सज़ा सुनाई गई है उसका पूरा या कुछ हिस्सा माफ कर दिया जाएगा।

(2) जब भी किसी सजा के निलंबन या माफी के लिए उपयुक्त सरकार को कोई आवेदन किया जाता है, तो उपयुक्त सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से अपेक्षा कर सकती है कि, जिसके समक्ष या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी या पुष्टि की गई थी, वह इस बारे में अपनी राय बताए कि क्या आवेदन को इस तरह की राय के लिए अपने कारणों के साथ मंजूर या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और ऐसी राय के बयान के साथ परीक्षण के रिकॉर्ड या उसके मौजूद ऐसे रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति भी अग्रेषित की जानी चाहिए।

(3) यदि कोई शर्त उपयुक्त सरकार की राय में , जिस पर सजा निलंबित या माफ की गई है,पूरा नहीं हुई,ऐसी स्थिति में उपयुक्त सरकार निलंबन या छूट को रद्द कर सकती है, और उसके बाद जिस व्यक्ति के पक्ष में सजा निलंबित या माफ

की गई है, उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है या सजा का शेष भाग भुगतान करने के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है।

(4) इस धारा के तहत जिस शर्त पर सजा निलंबित या माफ की जाती है, वह उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जा सकती है जिसके पक्ष में सजा निलंबित या माफ की गई है, या उसकी इच्छा से किसी स्वतंत्र द्वारा।

(5) उपयुक्त सरकार, सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा, सजा के निलंबन और उन शर्तों के बारे में निर्देश दे सकती है जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और निपटाई जानी चाहिए:

बशर्ते कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व्यक्ति को दी गई किसी भी सजा (जुर्माने की सजा के अलावा) के मामले में, सजा पाने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की ऐसी कोई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति सजा सुनाई गई जेल में है, और

(ए) जहां ऐसी याचिका सजा पाए व्यक्ति द्वारा की जाती है, इसे जेल के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है; या

(बी) जहां ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, इसमें एक घोषणा होती है कि सजा पाने वाला व्यक्ति जेल में है।

(6) उपरोक्त उपधाराओं के प्रावधान इस संहिता या किसी अन्य कानून की किसी भी धारा के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश पर भी लागू होंगे जो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व लगाता है।

(7) इस धारा में और धारा 433 में, अभिव्यक्ति "उचित सरकार" का अर्थ है.-

(ए) ऐसे मामलों में जहां सजा किसी अपराध के लिए है, या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के तहत पारित किया जाता है, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, केंद्र सरकार;

(बी) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा सुनाई गई है या उक्त आदेश पारित किया गया है।"

35.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 इस प्रकार है ---

433. सजा कम करने की शक्ति.--उचित सरकार, सजा पाने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना, सजा कम कर सकती है-

(ए) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सजा के लिए मौत की सजा;

(बी) आजीवन कारावास की सजा को चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना;

(सी) कठोर कारावास की सजा, किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती थी, या जुर्माना;

(डी) जुर्माने के साथ साधारण कारावास की सजा।

433ए. कुछ मामलों में छूट या रूपांतरण की शक्ति पर प्रतिबंध- धारा 432 में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है जिसके लिए मौत कानून द्वारा प्रदान की गई सजाओं में से एक है, या जहां धारा के तहत किसी व्यक्ति पर लगाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में धारा 433 के तहत बदल दिया गया है ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह वर्ष कारावास की सजा नहीं काट ली हो।

36. संविधान का अनुच्छेद 161 भी राज्यपाल को क्षमा आदि देने की शक्ति प्रदान करता है जो इस प्रकार है:--

"161. कुछ मामलों में क्षमा आदि देने और सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति।- राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ करने, राहत देने, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी।

37. पुनः: **हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह (5)** [3]शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

15. 'फरलो' और 'पैरोल' दो अलग-अलग शब्द हैं जो अब जेल मैनुअल या कैदियों की अस्थायी रिहाई से संबंधित कानूनों में उपयोग किए जा रहे हैं। इन दोनों शब्दों ने क़ानून में अलग-अलग परिणामों के साथ अलग-अलग अर्थ प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए, शब्दकोश के अर्थ काफी मददगार नहीं हैं। इस संबंध में हम हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 का उल्लेख कर सकते हैं, जिसने पंजाब अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 को निरस्त कर दिया है। पंजाब अधिनियम पहले हरियाणा राज्य में लागू था। दोनों अधिनियमों की भाषा समान है और पैरोल और फर्लो के बीच अंतर को समझने के लिए इन दोनों अधिनियमों में से किसी एक की धारा 3 और 4 को देखना उपयोगी हो सकता है:-

---

(5)2001(1) आर सी आर (आपराधिक) 627

"**3. कुछ आधारों पर कैदियों की अस्थायी रिहाई.-**

(1) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है, अस्थायी रूप से उपधारा(2) में निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई कैदी रिहा किया जा सकता है,, यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि-

(ए) कैदी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या वह गंभीर रूप से बीमार है या कैदी खुद गंभीर रूप से बीमार है; या

(बी) स्वयं कैदी, उसके बेटे, बेटी, पोते, पोती, भाई, बहन, बहन के बेटे या बेटी का विवाह मनाया जाना है; या

(सी) कैदी की अस्थायी रिहाई उसकी भूमि या उसके पिता की अविभाजित भूमि जो वास्तव में कैदी के कब्जे में है, पर जुताई, बुआई या कटाई या कोई अन्य कृषि कार्य करने के लिए आवश्यक है; या

(डी) किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करना वांछनीय है।

(2) वह अवधि जिसके लिए किसी कैदी को रिहा किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ताकि इससे अधिक न हो--

(ए) यदि कैदी को उपधारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है, तीन सप्ताह:

(बी) जहां कैदी को निर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है उपधारा (1) के खंड (बी) या खंड (डी) में, चार सप्ताह; और

(सी) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (सी) में निर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है, छह सप्ताह:

बशर्ते कि खंड (सी) के तहत अस्थायी रिहाई का लाभ वर्ष के दौरान एक से अधिक बार लिया जा सकता है, जो हालांकि, संचयी रूप से छह सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

(3) इस धारा के तहत रिहाई की अवधि किसी कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिनी जाएगी।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को इस धारा के तहत निर्दिष्ट सभी या किसी अन्य आधार के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

4. फरलो पर कैदियों की अस्थायी रिहाई, -

(1)राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे अन्य अधिकारी के परामर्श से, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है, अस्थायी रूप से रिहा कर सकता है।,फ़र्लो पर, कोई भी कैदी जिसे कम से कम चार साल की कैद की सजा सुनाई गई हो और जो-

(ए) अपनी अस्थायी रिहाई की तारीख से ठीक पहले, तीन साल की अवधि के लिए लगातार कारावास से गुजरा है, जिसमें सजा-पूर्व हिरासत, यदि कोई हो, भी शामिल है;

(बी) ने ऐसी अवधि के दौरान कोई जेल अपराध नहीं किया है (चेतावनी द्वारा दंडित अपराध को छोड़कर) और कम से कम तीन वार्षिक अच्छे आचरण छूट अर्जित की है:

बशर्ते कि इसमें कोई भी बात उस कैदी पर लागू नहीं होगी जो-

(i) पंजाब I आदतन अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उप-धारा (3) में परिभाषित एक आदतन अपराधी है; या

(ii) डकैती या ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

(2) फ़र्लो की अवधि जिसके लिए कोई कैदी उपधारा (1) के तहत पात्र है, उसकी रिहाई के पहले वर्ष के दौरान तीन सप्ताह और उसके बाद प्रत्येक क्रमिक वर्ष के दौरान दो सप्ताह होगी।

(3) धारा 8 की उप-धारा (3) के खंड (डी) के प्रावधानों के अधीन, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रिहाई की अवधि एक कैदी द्वारा भोगी गई सजा की कुल अवधि में गिनी जाएगी।"

16. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जब कोई कैदी पैरोल पर होता है तो उसकी रिहाई की अवधि को सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाता है, जबकि जब वह फ़र्लो पर होता है तो वह रिहाई की अवधि को उसकी कुल सजा की अवधि में गिना जाने का पात्र होता है।

17. हरियाणा राज्य में लागू पंजाब जेल मैनुअल के अध्याय XX में छूट प्रणाली शामिल है। पैरा 633, 633-ए. 635, 637, 644 और 645 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जिन्हें हमने यहां नीचे निर्धारित किया है:-

"633. ऐसे मामले जिनमें सामान्य छूट अर्जित नहीं की गई है।-

निम्नलिखित मामलों में कोई सामान्य छूट अर्जित नहीं की जाएगी। अर्थात्:--

(1) कारावास की किसी भी सजा के संबंध में, जुर्माने का भुगतान न करने पर दी गई किसी भी सजा को छोड़कर, तीन महीने से कम;

(2) साधारण कारावास की किसी भी सजा के संबंध में, किसी भी निरंतर अवधि को छोड़कर जो एक महीने से कम न हो, जिसके दौरान कैदी स्वेच्छा से श्रम करता है,

633-ए. जेल में प्रवेश के बाद किए गए कुछ अपराधों के लिए सामान्य छूट अर्जित नहीं की जा सकती। यदि किसी कैदी को जेल में दाखिल होने के बाद यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,152,224, 302,304,304-ए, 306, 307, 308, 323, 324, 325. 326, 332. 333, 352, 353 या 377, या किसी वार्डन या अन्य अधिकारी पर जेल में प्रवेश के बाद किए गए हमले या अच्छे आचरण वाले कैदी परिवीक्षाधीन रिहाई अधिनियम, 1926 (1926 का एक्स), की धारा 6 के तहत, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता तो उक्त सजा की तारीख तक इन नियमों के तहत उसके द्वारा अर्जित की गई किसी भी प्रकार की छूट, कारागार महानिरीक्षक की प्रतिबंध के बाद रद्द की जा सकती है।

635 छूट देने का पैमाना - साधारण छूट निम्नलिखित पैमाने पर दी जाएगी:-

(ए) अच्छे आचरण और सभी जेल नियमों का ईमानदारी से पालन करने के लिए प्रति माह दो दिन।

(बी) उद्योग के लिए और लगाए गए दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिमाह 2 दिन।

637. प्रणाली की छूट का आवेदन.-पैरा 634 के प्रावधानों के अधीन, पैराग्राफ 635 के तहत छूट की गणना कैदी की सजा की तारीख के बाद अगले कैलेंडर माह के पहले दिन से की जाएगी; कोई भी कैदी जो जमानत पर रिहा होने के बाद या क्योंकि उसकी सजा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है, उसे बाद में जेल में फिर से भर्ती किया गयाहै, उसे उसके पुन: प्रवेश के बाद अगले कैलेंडर माह के पहले दिन छूट प्रणाली के तहत लाया जाएगा, लेकिन उसकी वापसी पर इसका श्रेय दिया जाएगा ऐसी छूट का जो उसने जमानत पर रिहा होने या अपनी सजा के निलंबन से पहले अर्जित की हो। अनुच्छेद 636 के तहत छूट की गणना कैदी की दोषी वार्डर, दोषी पर्यवेक्षक या दोषी रात्रि चौकीदार के रूप में नियुक्ति के बाद अगले कैलेंडर माह के पहले दिन से की जाएगी।

644. विशेष छूट. (1) विशेष सेवा के लिए किसी भी कैदी को विशेष छूट दी जा सकती है, चाहे वह सामान्य छूट का हकदार हो या पैराग्राफ 632 में निर्दिष्ट सजा काट रहे कैदी के अलावा कोई अन्य नहीं हो।

मौजूदा पैरा के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(1) अनुच्छेद 632 में निर्दिष्ट सजा काट रहे कैदी के अलावा किसी भी कैदी को विशेष छूट दी जा सकती है, चाहे वह सामान्य छूट का हकदार हो या नहीं, उदाहरण के लिए विशेष सेवाओं के लिए:

A. जेल अनुशासन या नियमों के उल्लंघन का पता लगाने या रोकने में सहायता करना,

B. हस्तशिल्प सिखाने में सफलता,

C. अच्छी गुणवत्ता वाले कार्य या आउट-टर्न में विशेष उत्कृष्टता, या अत्यधिक वृद्धि

D. जेल के एक अधिकारी को हमले से बचाना,

E. आग लगने या इसी तरह की आपात स्थिति के मामले में जेल के एक अधिकारी की सहायता करना

कपड़े पहनने में किफायत,

F. ब्लड बैंक को रक्त दान करने पर बशर्ते कि इस सेवा के लिए विशेष छूट का पैमाना उप-पैरा (3) में निर्धारित सीमा के अधीन प्रत्येक अवसर के लिए पंद्रह दिन का होगा, जिस पर रक्त दान किया जाता है।

G. तीन बच्चों वाले कैदी द्वारा स्वेच्छा से पुरुष नसबंदी ऑपरेशन कराना, बशर्ते कि ऐसी सेवा के लिए विशेष छूट का पैमाना उप-पैरा (3) में निर्धारित सीमाओं के अधीन 30 दिन होगा।

(2) अच्छे आचरण वाले कैदियों की परिवीक्षाधीन रिहाई अधिनियम, 1926 के तहत रिहा किए गए किसी भी कैदी को विशेष सेवाओं के लिए विशेष छूट भी दी जा सकती है:

(i) अत्यधिक बढ़े हुए आउट-टर्न या अच्छी गुणवत्ता में विशेष उत्कृष्टता,

(ii) किसी प्रकोप या आग लगने की स्थिति में नियोक्ता की सहायता करना या उसके जीवन या संपत्ति को चोरी से बचाना और अन्य सराहनीय सेवाएं।

(3) विशेष छूट दी जा सकती है:--

(i) अधीक्षक द्वारा एक वर्ष में तीन दिन से अधिक नहीं।

(ii) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अच्छे आचरण वाले कैदियों की परिवीक्षाधीन रिहाई अधिनियम, 1926 के प्रावधानों के तहत रिहा किए गए कैदियों के मामले में एक वर्ष में 30 दिनों से अधिक नहीं की अवधि के लिए।

(iii) स्थानीय सरकार के महानिरीक्षक द्वारा एक वर्ष में साठ दिनों से अधिक की राशि नहीं।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, वर्षों की गणना सजा की तारीख से की जाएगी और वर्ष के किसी भी अंश को पूर्ण वर्ष के रूप में गिना जाएगा।

(4) विशेष छूट का पुरस्कार दिए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके कैदी के इतिहास टिकट पर दर्ज किया जाएगा, और एक अधीक्षक द्वारा विशेष छूट के प्रत्येक पुरस्कार के कारणों को संक्षेप में दर्ज किया जाएगा और अच्छे आचरण वाले कैदियों की परिवीक्षाधीन रिहाई अधिनियम, 1926 के तहत रिहा किए गए कैदियों के मामले में, ऐसी प्रविष्टियां और उनके कारण परिवीक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाएंगे।

645. कुल छूट सज़ा के एक-चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी—- इन सभी नियमों के तहत किसी कैदी को दी गई कुल छूट, स्थानीय सरकार की विशेष मंजूरी के बिना, उसकी सजा के एक-चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होगी।
बशर्ते बहुत ही असाधारण और उपयुक्त मामलों में जेल महानिरीक्षक कुल सजा के एक तिहाई से अधिक की छूट दे सकता है।"

38.**हरियाणा राज्य बनाम करमबीर सिंह, (6)** [4]के संबंध में, माननीय सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत, पैरोल पर रिहाई की अवधि को सजा की कुल अवधि में नही गिना जाएगा। **सुनील फूलचंद शाह आदि बनाम भारत संघ, (7)** [5]के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा: -

10. कानून में जमानत और पैरोल के अलग-अलग अर्थ हैं। आपराधिक न्यायशास्त्र में जमानत को अच्छी तरह से समझा जाता है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXII में जमानत देने से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। जमानत उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया हो या मुकदमे के बाद किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। जमानत देने का प्रभाव आरोपी को नजरबंदी से मुक्त करना है, हालांकि अदालत अभी भी जमानतदारों के माध्यम से उस पर रचनात्मक नियंत्रण बनाए रखेगी। यदि अभियुक्त को उसके स्वयं के बांड पर रिहा कर दिया जाता है तो उससे प्राप्त बांड की शर्तों के माध्यम से इस तरह का रचनात्मक नियंत्रण अभी भी प्रयोग किया जा सकता है। 'जमानत' शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रतिभू है। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण, वॉल्यूम। 11, पैरा 166, निम्नलिखित टिप्पणियाँ संक्षेप में जमानत के प्रभाव को सामने लाती हैं"

---

(6) 2001(3)आपराधिक 388

(7) 2002 (2) आर.सी.आर. (आपराधिक) 176

"जमानत देने का प्रभाव प्रतिवादी (अभियुक्त) को आज़ाद करना नहीं है, बल्कि उसे कानून की हिरासत से रिहा करना और उसे अपने जमानतदारों की हिरासत में सौंपना है जो उसे एक निर्दिष्ट समय और स्थान पर अपने मुकदमे में

उपस्थित होने के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। । ज़मानतदार किसी भी समय अपने मूलधन को जब्त कर सकते हैं और उसे कानून की हिरासत में सौंपकर खुद को मुक्त कर सकते हैं और फिर उसे कैद कर लिया जाएगा।"

11. हालाँकि, 'पैरोल' का अर्थ जमानत से अलग है, भले ही जमानत और पैरोल दोनों का पर्याप्त कानूनी प्रभाव किसी व्यक्ति की हिरासत या हिरासत से रिहाई हो सकता है। 'पैरोल' का शब्दकोश अर्थ है:

संक्षिप्त ऑक्सफ़ोर्ड शब्दकोश-नया संस्करण

"अच्छे व्यवहार के वादे पर किसी कैदी को विशेष प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से या सजा की समाप्ति से पहले पूरी तरह से रिहा करना: ऐसा वादा, सम्मान का एक शब्द।"

ब्लैक लॉ डिक्शनरी-छठा संस्करण

"वास्तव में सजा का कुछ हिस्सा काटने के बाद जेल, जेल या अन्य कारावास से रिहाई; कारावास से सशर्त रिहाई जो किसी संस्थान की सीमा के बाहर अपनी शेष अवधि काटने के लिए पैरोल का अधिकार देती है, यदि वह संतोषजनक ढंग से काम करता है पैरोल आदेश में दिए गए सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करते हुए।"

39. द लॉ लेक्सिकन के अनुसार, (पी. रामनाथ अय्यर की द लॉ लेक्सिकॉन विद लीगल मैक्सिम्स, लैटिन टर्म्स एंड वर्ड्स एंड फ़्रेज़ेज़: पृष्ठ 1410), 'पैरोल' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"पैरोल शर्त क्षमा का एक रूप है, जिसके द्वारा दोषी को उसकी सजा की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया जाता है, शेष अवधि के दौरान वह सार्वजनिक प्राधिकरण की निगरानी में रहता है और पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने पर कारावास में वापस आ जाता है।"

40. शब्दों और वाक्यांशों के अनुसार (स्थायी संस्करण): वॉल्यूम। 31; पृ.164, 166, 167:

"पैरोल' दोषी को जेल की दीवारों के बाहर सजा काटने की अनुमति देकर सजा में सुधार करती है, लेकिन पैरोल सजा को बाधित नहीं करती है(**रेनोन बनाम मर्फी, 135 एन.ई. 2डी 567, 571, आई एन.वाई., 2रा 367, 153 एन.वाई.एस. 2डी 21, 26** . 'पैरोल' लगाई गई सज़ा को ख़त्म नहीं करता, बल्कि सज़ा का एक सशर्त निलंबन मात्र है। **वुडेन बनाम गोहेन, क्यू., 255 एस.डब्लू. 2डी 1000, 1002. 22**

"एक 'पैरोल' 'सजा का निलंबन' नहीं है, बल्कि पैरोल की निरंतरता के दौरान, कानूनी हिरासत में कैद करके और जेल के बाहर निर्दिष्ट जेल सीमा के भीतर वार्डन के नियंत्रण में कारावास के लिए निचली श्रेणी की सजा का एक प्रतिस्थापन है**।जेनकिंस बनाम मैडिगन, सी.ए. इंडस्ट्रीज़, 211 एफ.2nd 904, 906।**

"एक 'पैरोल' मूल रूप से न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा को निलंबित या कम नहीं करता है, जबकि 'सजा में कमी' वास्तव में इसे संशोधित करती है।"

12. इस देश में पैरोल देने के प्रश्न से संबंधित कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में पैरोल देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, पैरोल देने को विनियमित करने के लिए विभिन्न राज्यों में नियम बनाए गए हैं। इस प्रकार, पैरोल देने की कार्रवाई आम तौर पर एक प्रशासनिक कार्रवाई कहलाती है। **हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर सिंह, जेटी 2000(1) एससी 629** मामले में इस न्यायालय के फैसले में जमानत और पैरोल देने के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है, जिसमें हम में से एक (वाधवा, जे.) एक पक्ष था। यह अंतर स्पष्ट है और मैं सम्मानपूर्वक उस अंतर से सहमत हूं।

13. इस प्रकार, यह देखा गया है कि 'पैरोल' हिरासत से "अस्थायी रिहाई" का एक रूप है, जो सजा या हिरासत की अवधि को निलंबित नहीं करता है, बल्कि हिरासत से सशर्त रिहाई प्रदान करता है और सजा भुगतने के तरीके को बदल देता है।

41.इसके संबंध में: **रामचर बनाम हरियाणा राज्य, (8),**[6]हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3(3) के साथ-साथ आपराधिक प्रकिर्या संहिता की धारा 433-ए के दायरे से निपटते हुए, इस न्यायालय ने माना कि पैरोल की अवधि वास्तविक सजा से नहीं बल्कि सजा की कुल अवधि से घटाई जानी थी,

---

(8) 1995 (1) आर.सी.आर. (आपराधिक) 686
(9) 1995 (3) आर.सी.आर. (आपराधिक) 466
(10) 1996 (1) आर.सी.आर. (आपराधिक) 633
(11) 2002 (1) आर.सी.आर. (आपराधिक) 786

यानी, याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित वास्तविक सजा छूट। इसके अलावा पुन: **प्रताप बनाम हरियाणा राज्य (9**) में, इस न्यायालय ने माना कि पैरोल पर बिताई गई अवधि को दोषी द्वारा भोगी गई वास्तविक सजा की गणना करते समय शामिल किया जा सकता है, लेकिन कारावास की कुल अवधि की गणना करते समय उक्त अवधि को शामिल नहीं किया जा सकता है। **चंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में, (10)** इस न्यायालय ने माना कि पैरोल पर बिताई गई अवधि आजीवन दोषी द्वारा भोगी गई वास्तविक सजा की अवधि में गिनी जाएगी। **अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (11)** के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि हालांकि आमतौर पर पैरोल पर किसी कैदी की अस्थायी रिहाई की अवधि को हिरासत की कुल अवधि में गिना जाना चाहिए, लेकिन इस स्थिति को विधायी अधिनियम, नियमों, निर्देशों या पैरोल अनुदान की शर्तों द्वारा कम किया जा सकता है।

42.वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग द्वारा जेल महानिदेशक, हरियाणा को जारी मेमो संख्या 36/135/91-1जेजे(II) वाले पत्र/परिपत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2002 में , मनीमाजरा, चंडीगढ़ ने आजीवन कारावास के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में नीति के विषय पर एक नोट दर्ज किया कि "पैरोल पर बिताई गई अवधि को वास्तविक सजा की अवधि में गिना जाएगा, लेकिन इसे सजा की कुल अवधि से बाहर रखा जाएगा, जो **आपराधिक रिट याचिका संख्या 108/1987** में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, जिसका शीर्षक **फकीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (**12),7है। कथित तौर पर हरियाणा सरकार, जेल और न्यायिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 11 अगस्त, 2008 की अधिसूचना में, सजा की अवधि की गणना करने का सूत्र निम्नानुसार दिया गया है: -

"1 जनवरी, 1990 को दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति ने 31 दिसंबर, 2003 को अपनी 14 साल की वास्तविक सजा पूरी कर ली है और उपरोक्त सजा अवधि के दौरान, उसने 14 महीने के लिए पैरोल का लाभ उठाया था, उसकी वास्तविक सजा 14 वर्ष, न कि 12 वर्ष 12 महीने को भुगतना माना जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान, उसने कुल पाँच वर्ष की छूट अर्जित की है, तो उसकी कुल सजा अवधि की गणना निम्नानुसार की जाएगी: -

	वर्ष	महीना	दिन
विचाराधीन काल	00	00	00

(12) 1988 (1) आर.सी.आर. (Crl.) 558

	वर्ष	महीना	दिन
बीत चुकी सजा की अवधि	14	00	0
अर्जित छूटें जोड़ने के लिए	5	0	0
	19	0	0
कम पैरोल अवधि	1	2	0
कुल सजा	**17**	**10**	**0**

उनका मामला समय से पहले रिहाई के योग्य तभी होगा जब वह कुल सजा के 20 साल पूरे कर लेंगे।"

43.हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3 के तहत, राज्य सरकार किसी कैदी को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा कर सकती है यदि सरकार संतुष्ट है कि (i) उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या वह गंभीर रूप से बीमार है या कैदी स्वयं गंभीर रूप से बीमार है या (ii) उसकी, उसके बेटे, बेटी आदि की शादी का जश्न मनाया जाना है या (iii) ऐसी रिहाई जुताई, बुआई या कटाई या उसकी भूमि के किसी अन्य कृषि हिस्से को चलाने के लिए आवश्यक है या उसके पिता की अविभाजित भूमि के लिए आवश्यक है जो वास्तव में कैदी के कब्जे में है और (iv) किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करना वांछनीय है। रिहाई की अवधि उपधारा (2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी है। अधिनियम की उपधारा (3) में प्रावधान है कि इस धारा के तहत रिहाई की अवधि को कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा। धारा 4 के तहत, एक कैदी जिसे कम से कम 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, उसे अस्थायी रूप से छुट्टी पर रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने तीन साल की अवधि के लिए लगातार कारावास नहीं भुगता हो और कोई जेल अपराध नहीं किया हो (चेतावनी द्वारा दंडित अपराध को छोड़कर) और कम से कम तीन वार्षिक अच्छे आचरण छूट भी अर्जित की है। यह धारा यह भी प्रदान करती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान में उल्लिखित कैदियों के वर्ग को फ़र्लो का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अस्थायी रिहाई की अवधि उपधारा (2) में तय की गई है। उप-धारा (3) में यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि फ़र्लो पर अस्थायी रिहाई की अवधि को कैदी द्वारा भोगी गई सजा की कुल अवधि में गिना जाएगा। अस्थायी रिहाई के उद्देश्य से विधानमंडल ने कैदियों की दो श्रेणियां बनाई हैं। हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 3 के साथ धारा 4 के संयुक्त अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन से पता चलेगा कि धारा 4 के तहत अस्थायी रिहाई की शर्तें अधिक कठोर हैं और एक कैदी अस्थायी रिहाई के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उक्त धारा में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है, जबकि धारा 3 में ऐसी कोई कठोर शर्त नहीं लगाई गई है। इसके अलावा, कुछ वर्ग के कैदियों को फ़र्लो का लाभ नहीं मिल सकता है।

44. इसे उपरोक्त उद्धृत केस कानून, पंजाब जेल मैनुअल के पैराग्राफ, परिपत्रों से उचित रूप से कहा जा सकता है कि पैरोल अवधि वास्तविक सजा में गिना जाता है लेकिन कुल सजा से घटा दिया जाता है। दूसरी ओर, फर्लो अवधि वास्तविक के साथ-साथ कुल सजा में भी गिनी जाती है और घटायी नहीं जाती। उपरोक्त धारा 4 के मद्देनजर, पैरोल एक विशेष अवकाश है। पैरोल वास्तविक सजा का एक हिस्सा है, लेकिन इसे कुल सजा से घटाया जाना चाहिए, यानी, वास्तविक सजा + छूट। पैरोल को कुल सजा में केवल तभी जोड़ा जा सकता है, यदि उक्त आशय के लिए कोई विशिष्ट विधायी अधिनियम हो। हालाँकि, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ऐसा कोई विशिष्ट विधायी अधिनियम नहीं

है। नियमों/निर्देशों में प्रावधान है कि इन दोनों राज्यों में, पैरोल अवधि को कुल सजा में नहीं गिना जाएगा। चंडीगढ़ के लिए, पंजाब राज्य द्वारा बनाए गए नियम लागू हैं। पंजाब जेल मैनुअल तीसरे संस्करण के पैराग्राफ संख्या 643 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उस कैलेंडर माह के लिए सामान्य छूट नहीं मिलेगी जिसमें उसे रिहा किया गया है। जिस अवधि के दौरान अभियुक्त/दोषी जमानत पर रहा, उसे वास्तविक या कुल सजा में नहीं गिना जाएगा। इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध 2004 की संख्या 19131 में पारित आदेश दिनांक 23 नवंबर, 2004 (आपराधिक विविध में अनुलग्नक पी 3, संख्या एम-18878, 2009) जिसका शीर्षक '**दुनी राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**' है पर नज़र डालने से पता चलता है कि उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा ने इसके विपरीत किसी भी मामले के कानून का हवाला नहीं दिया था। इसके अलावा, उस मामले में भी, याचिकाकर्ता की पैरोल/फ़र्लो की अवधि को उसके द्वारा भोगी गई कारावास की वास्तविक सजा में जोड़ने का निर्देश प्रतिवादियों को दिया गया था। ऐसी अवधि को याचिकाकर्ता की कुल सजा में गिनने का कोई निर्देश नहीं था।

45.पंजाब जेल मैनुअल के पैराग्राफ 637 से छूट के आवेदन के सवाल पर आते हुए, जैसा कि इस फैसले के पहले भाग में शब्दशः पुन: प्रस्तुत किया गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जमानत पर एक दोषी छूट के लाभ का हकदार नहीं है। वास्तव में, यह प्रश्न अब वास्तविक नहीं रह गया है क्योंकि यह **जय प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, (13)** [8]द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है। उपर्युक्त पैराग्राफ के दायरे पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार कहा: -

"उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि एक कैदी, जिसे जमानत पर रिहा किया गया है या जिसकी सजा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है और बाद में जेल में फिर से दाखिल किया गया है, उसे पुनः प्रवेश के बाद कैलेंडर के अगले महीने के पहले दिन छूट प्रणाली के तहत लाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति उस अवधि के

---

(13) 1987 (4) एस.सी.सी. 296

दौरान सजा माफी के लिए पात्र नहीं है, जब वह जमानत पर है या उसकी सजा अस्थायी रूप से निलंबित है। यह दलील कि जिन याचिकाकर्ताओं को अस्थायी रूप से जमानत पर रिहा किया गया था, वे जमानत पर रहने की अवधि के दौरान अर्जित छूट पाने के हकदार हैं, बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है।

46.क्या कोई कैदी जमानत पर रहने की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष छूट का हकदार है? दोषसिद्धि और सजा दो अलग-अलग शब्द हैं। जिस क्षण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, वह कलंकित हो जाता है। वह एक दोषी है। यदि उसे अपीलीय अदालत द्वारा जमानत दी जाती है, तो यह सीआरपीसी की धारा 389 के प्रावधानों के आधार पर है और उसकी सज़ा निलंबित है। यदि उसकी अपील खारिज होने के साथ उसकी दोषसिद्धि को

निलंबित नहीं किया जाता है, तो कलंक नहीं मिटता है। उपरोक्त अनुच्छेद 637 ऐसी ओवर-राइड छूटों के रूप में नहीं है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट के माध्यम से घोषित किया जाता है। उन विशेष छूटों का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। पुनः **जय प्रकाश (सुप्रा)** में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता विशेष छूट के लाभ के हकदार हैं, जिसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान की गई है जब वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जमानत पर थे, इस तथ्य के बावजूद कि वे हिरासत में नहीं थे।

47. आपराधिक विविध 2008 के नंबर एम-18417 जिसका शीर्षक **जय प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य है,** में, इस न्यायालय द्वारा पारित 28 नवंबर, 2008 के आदेश (आपराधिक विविध में परिशिष्ट पी7, 2009 की संख्या एम-5338 और अन्य) को याद करते हुए उनके आधिपत्य ने 11 सितंबर, 2001 तक समय-समय पर घोषित छूट का लाभ देने में सहमति व्यक्त की, जो स्पष्ट रूप से पैराग्राफ 637 के प्रावधानों के अनुरूप है।

48. पूर्ववर्ती चर्चा के मद्देनजर, इन सभी याचिकाओं का उत्तरदाताओं को इस निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है कि वे प्रत्येक याचिकाकर्ता के मामले को पंजाब जेल मैनुअल के केस कानून/नियम/पैराग्राफ को लागू करके इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर व्यक्तिगत रूप से तक मौखिक आदेश करके तय करें। राज्य के अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह फैसले की एक प्रति उत्तरदाताओं को तुरंत सूचित करें। इस फैसले की प्रति कोर्ट रीडर के हस्ताक्षर के तहत विद्वान राज्य अधिवक्ता को जारी की जाए।[9]

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा